संख्या-13/2022/228/तेईस-7-2022-44(सा0)/2021

प्रेषक,

ज्ञानेश्वर त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।

3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।

4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, विभूति खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊः दिनांक-18 अप्रैल, 2022

विषयः- हैसियत प्रमाणपत्र की वैधता 02 वर्ष के स्थान पर 03 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-3577एम0टी0/सामान्य वर्ग/40एम0टी0-10/ 2020, दिनांक 24-03-2021 एवं लोक निर्माण विभाग में टेण्डर/कार्यो में पारदर्शिता एवं शुचिता लाने तथा गुण्डा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने के संबंध में शासनादेश सं0-836/23-7-17-176सा0/ 2006, दिनांक 08-06-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-1296/एक-9-2021, दिनांक 28-03-2022 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिलाधिकारियों से निर्गत किये जाने वाले हैसियत प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि, हैसियत प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने की तिथि से 02 वर्ष के स्थान पर 03 वर्ष कर दिया गया है। अतः तत्क्रम में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
ज्ञानेश्वर त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या-13/2022/228(1)/तेईस-7-2022-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- विशेष सचिव, राजस्व अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन को पत्रांक-1296/एक-9-2021, दिनांक 28-03-2022 के संदर्भ में।
2- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क एवं परि0/नियो0), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
3- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।